

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 7-1/2012/1-3

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त सभागायुक्त,

समस्त कलेक्टर,

छत्तीसगढ़

विषय :- तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन में शिथिलीकरण ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 14.06.2013

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 14.06.2013 द्वारा सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों का असामयिक निधन होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में पुनरीक्षित निर्देश जारी किए गए हैं । उक्त परिपत्र के निर्देश बिन्दु 8(1) में यह प्रावधान है कि अनुकम्पा नियुक्ति सीधी भरती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी ।

2/ शासन के ध्यान में यह आया है कि तृतीय श्रेणी के सीधी भरती के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत पदों का सीमा बंधन होने के कारण, शासन के कतिपय विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है ।

3/ अतः सीधी भरती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन एतद्वारा, इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के निर्देश बिन्दु 8(1) में प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को दिनांक 31/05/2022 तक शिथिल करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. कमलप्रतीत सिंह)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरन्तर.....2

पृ.कमांक एफ 7-1/2021/1-3

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट, रायपुर
3. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
7. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/लोक आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर छ.ग.
9. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर छ.ग.
10. विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर
13. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर
14. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
15. अवर सचिव (स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक -4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

Website - tribal.cg.gov.in

☎ - 2263708,

Fax - 2262558

E mail - ctd.cg@nic.in

पृ.क्रमांक/सा.स्था.-03/101/2021/460
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/05/2021

1. समस्त कलेक्टर (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (छत्तीसगढ़) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए.आर. नवरंग)
25/05/2021

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)